प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 13.11.2025

साईबर सेल थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई 50000/- की धनराशि वापस करायी गयी।

आज दिनांक 13.11.2025 को साईबर सेल थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा आवेदक श्री लविश नि0 एम0 ब्लॉक प्रताप विहार थाना विजयनगर गाजियाबाद के साथ हुए साइबर फ्रॉड में ठगी गयी कुल धनराशि 50000/- रू० वापस कराये गये।

कार्यवाही का विवरण

साईबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद को एनसीआरपी पोर्टल के माध्यम से दिनांक 13.11.2025 को श्री लविश नि0 एम0 ब्लॉक प्रताप विहार थाना विजयनगर गाजियाबाद के साथ 50000/- रू० की साइबर ठगी से सम्बंधित शिकायत संख्या 23111250182374 प्राप्त हुई थी जिस पर साइबर सेल थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए आवेदक के साथ हुई ऑनलाइन ठगी की धनराशि को होल्ड कराया गया व दिनांक 13.11.2025 को आवेदक के साथ हुई साइबर फ्रॉड की 50000/- धनराशि को बैंक से पत्राचार कर वापस कराया गया आवेदक द्वारा थाना विजयनगर पर आकर पुलिस टीम का आभार प्रकट किया गया।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

थाना विजयनगर साइबर सेल

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा हत्या कारित करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध की गयी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही ।

श्रीमान पुलिस उपायुक्त ग्रामीण जोन, कमिश्नरेट गाजियाबाद श्री सुरेन्द्र नाथ तिवारी के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपराध नियंत्रण हेतु थाना

मुरादनगर पर समाज विरोधी क्रियाकलापों में लिप्त 03 शातिर अभियुक्तों के विरुद्ध 2/3 उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधि0 1986 का अभियोग पंजीकृत किया गया। उक्त कार्यवाही से अपराध व आपराधिक गतिविधियों में अकुंश लगेगा।

गिरोह सरगना प्रशान्त उर्फ कबूतर ने अपने सहअभियुक्त विक्की उर्फ विकास व पवन कुमार के साथ मिलकर दिनांक 08.06.2025 को वादी पिन्टू चौधरी निवासी ग्राम धेदा थाना मुरादनगर गाजियाबाद के घर में घुसकर वादी के पुत्र पंकज उम्र करीब 23 वर्ष व वादी की पत्नी श्रीमती गुड्डी देवी उम्र करीब 45 वर्ष को गोली मारकर घायल कर देना जिसमें उपचार के दौरान पंकज उपरोक्त की मृत्यु हो गयी थी। जिसमें विधिक कार्यवाही करते हुए थाना मुरादनगर पुलिस व स्वाट टीम ग्रामीण जोन द्वारा अभियुक्त प्रशान्त उर्फ कबूतर निवासी ग्राम चितौड़ा थाना मुरादनगर गाजियाबाद हाल पता म0नं0-307 टेन्ट एवेन्यू गौर सिटी सैकण्ड थाना मुरादनगर व पवन कुमार पुत्र देवेन्द्र निवासी उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया जिनकी निशानदेही पर आलाकत्ल 01 अवैध पिस्टल बरामद हुई थी तथा अभियुक्त विक्की उर्फ विकास पुत्र चेंटी पुत्र चितेन्द्र निवासी ग्राम चितौड़ा थाना मुरादनगर गाजियाबाद को पुलिस मुठभेड़ में थाना छपरौली बागपत पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। इनके द्वारा आर्थिक व भौतिक लाभों की पूर्ति हेतु अवैध रुप से धन लाभ अर्जित करने के लिये एक संगठित आपराधिक गिरोह बना रखा है। इस गिरोह की सक्रियता जनपदीय है व इस गिरोह द्वारा हत्या जैसे अपराध कारित कर धन व अवैध सम्पत्ति अर्जित की गयी है।

हत्या की घटनाएं कारित कर अनुचित तरीके से धनोपार्जन करने वाले उक्त गिरोह के विरुद्ध थाना मुरादनगर पर मु0अ0सं0 569/25 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधि0 1986 पंजीकृत कराया गया।

नाम व पता अभियुक्तगण-

1.गैंग लीडर – प्रशान्त उर्फ कबूतर पुत्र पवन नि0 ग्राम चितौड़ा थाना मुरादनगर गाजियाबाद हालपता म0नं0 307 टेन्ट एवेन्यू गौर सिटी सैकण्ड थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 28 वर्ष।

2.सदस्य – पवन कुमार पुत्र देवेन्द्र नि0 ग्राम चितौड़ा थाना मुरादनगर गाजियाबाद हाल नि0 म0नं0 307 टेन्ट एवेन्यू गौर सिटी सैकण्ड थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 55 वर्ष।

3.सदस्य – विक्की उर्फ विकास पुत्र चेंटी उर्फ चितेन्द्र नि0 ग्राम चित्तोड़ा थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र करीब 29 वर्ष।

आपराधिक इतिहास			
क्र0सं0	अभियुक्त का नाम व पता	पंजीकृत गैंग	कुल पंजीकृत अभियोगों की संख्या
1	प्रशान्त उर्फ कबूतर पुत्र पवन नि0 ग्राम चितौड़ा थाना मुरादनगर गा0बाद हाल नि0 म0नं0 307 टेन्ट एवेन्यू गौर सिटी सैकण्ड थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 28 वर्ष	हत्या जैसे अपराधो से संबंधित **डी- 394/2025**	10

2	पवन कुमार पुत्र देवेन्द्र नि0 ग्राम चितौड़ा थाना मुरादनगर गा0बाद हाल नि0 म0नं0 307 टेन्ट एवेन्यू गौर सिटी सैकण्ड थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 55 वर्ष	हत्या जैसे अपराधो से संबंधित **डी- 394/2025**	02
3	विक्की उर्फ विकास पुत्र चेंटी उर्फ चितेन्द्र नि0 ग्राम चित्तोड़ा थाना मसूरी जिला गा0बाद	हत्या जैसे अपराधो से संबंधित **डी- 394/2025**	08